18.4.22 | पत्रावली पेश हुयी। अधिवक्ता उभय पक्षकार उप० आये। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष पर मनन किया।

प्रश्नगत आराजी ख० नं० 2679, 2680, 2681 कुल किता 3 कुल रकबा 20 बीघा 05 बिस्वा पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 03-7-15 को विरुद्ध अप्रार्थीगण अंतरिम कार्यवाही निषेधाज्ञा जारी की गयी थी। समय-समय पर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 14:40:44 IST
Reason: SelfAttested

अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की मियाद की बढ़ायी गयी।

इसको गौर करते व प्रार्थना-पत्र के मुताबिक पर भी विचार किया जाकर मेरी राय में दिनांक 8/7/15 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दिनांक 08/7/15 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा तफैसला मूलवाद कन्फर्म की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ रखी जावे।

निर्णय लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

18/4/16

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2022.05.13 14:40:44 IST
Reason: SelfAttested